न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– लक्ष्

प्रथम अपील संख्या 42 / 2023

रामोतार मीणा निवासी भडौन्दा खुर्द, तहसील व जिला झुंझुनूं, पिनकोड 333024, मो0न0 998364

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं।

– –

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील।

आदेश

दिनांक

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिक के तहत दिनांक 16.02.2023 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 4 दिनांक 16.02.2023 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (उपखण झुंझुनूं के विरूद्ध पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक / 20 दिनांक 16.02.2023 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं ने पत्रांक पीए / सू0अ0 / 2022 / 1558 दिनांक द्वारा अवगत कराया है कि श्री रामोतार मीणा द्वारा इस कार्यालय मे सूचना के अधिकार अधिनि अन्तर्गत सूचना चाहे जाने पर इस कार्यालय के पत्र कमांक पीए / सू0अ0 / 2022 / 1414 दिनांक द्वारा अपीलार्थी को स्वयं को उपलब्ध करवा दी गई थी। प्रार्थी द्वारा चाही जाने वाली सूचना जा वर्गवार का अलग से संघारण नही किया जाता है। प्रार्थी के चाहे जाने पर दर्ज रजिस्टर की प्रति शुल्क जमा लिया जाकर प्रार्थी को उपलब्ध करवाई जा चुकी है। प्रार्थी द्वारा चाहे जाने वाले प्रपत्र संघारण नही किया जाता है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं द्वारा पत्रांक पीए / सू0अ0 / 2022 / 1 16.03.2023 द्वारा अवगत कराया है कि श्री रामोतार मीणा द्वारा उनके कार्यालय मे सूचना के अधिक 2005 के अन्तर्गत सूचना चाहे जाने पर उनके कार्यालय के पत्र कमांक पीए / सू0अ0 / 2022 / 27.01.2023 द्वारा अपीलार्थी को स्वयं को उपलब्ध करवा दी गई थी। प्रार्थी द्वारा चाही जाने जातिवार / जाति वर्गवार का अलग से संघारण नही किया जाता है। प्रार्थी के चाहे जाने पर दर्ज प्रति नियमानुसार शुल्क जमा लिया जाकर प्रार्थी को उपलब्ध करवाई जा चुकी है। प्रार्थी द्वारा चा प्रपत्र मे सूचना का संघारण नही किया जाता है। अतः [illegible] की अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार यो से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी [illegible] अपील माननीय राज्य सूचना अ के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 27.03.2023 को खुले [illegible] में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.05.16 12:22:06 IST
Reason: SelfAttested

(एल0एस0कु

जिला कलक्टर

जिला कलक्टर